

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 187/2022

नाहर सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद, ग्राम सोकडाला, ग्राम पंचायत छापौली, तहसील उदयपुरवाटी,  
जिला झुंझुनू, पिन कोड 333302 मो0न0 9420139352

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 22.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 187/2022 पर दिनांक 01.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/2450-51 दिनांक 01.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/22/755 दिनांक 08.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी नाहर सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद, ग्राम सोकडाला, ग्राम पंचायत छापौली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 19.04.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/09/153 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी ने अपने पत्र क्रमांक 356-58 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 355 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छापौली को नियमानुसार निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
8. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू द्वारा पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/22/755 दिनांक 08.06.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी नाहर


  
जिला कलक्टर



सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद, ग्राम सोकडाला, ग्राम पंचायत छापौली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 19.04.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 ) ( 5 )न्याय/सू0अ0/09/153 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी ने अपने पत्र क्रमांक 356-58 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक 355 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छापौली को नियमानुसार निर्धारित समयावधि मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना उलब्ध करवाने हेतु नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

6. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )

जिला कलेक्टर झुंझुनूं